न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.)

कम्प्यूटर आई.डी. 2020/00351
मुकदमा नम्बर 173/2020 दायर दिनांक–10.09.2020

भोमाराम पुत्र रामदेव जाति मेघवंशी निवासी ग्राम बागोरियों की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

दावा : बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

:: निर्णय ::

दिनांक 05.10.2020

वादी द्वारा एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बागोरियों की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 632 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7500 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी मे वादी 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजी में वादी का हक हिस्से व कब्जे काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। वादी का सही व वास्तविक नाम भोमाराम पुत्र रामदेवा राम है, जो वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात भारत सरकार द्वा जारी आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड में दर्ज हे। वादी के पिता के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण वादी एवं वादी के भाई रतनलाल के नाम से भरा गया। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक वादी के नाम का सही सत्यापन किये बिना ही उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामदेव गलत दर्ज कर दिया। स्वर्गीय रामदेव के 2 पुत्र वादी व रतनलाल ही हुये। स्व0 रामदेव के भंवरलाल नाम का कोई पुत्र पैदा नही हुआ है। भंवरलाल व भोमाराम दोनो नामों का एक ही व्यक्ति वादी ही है।

राजस्व अभिलेख में वादी का गलत नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वादी के नाम का सही सत्यापन नही करने के कारण दर्ज हुआ है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम भंवरलाल दर्ज होने से वादी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा वादी राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। इसलिए भंवरलाल पुत्र रामदेव के स्थान पर वादी भोमाराम पुत्र रामदेवा राम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद श्रीमानजी के सेवामें पेश है। वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी पूर्व मं नही थी। वादी ने दिनांक 07.09.2020 को हल्का पटवारी से राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की तो वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी हुई जिसके तुरन्त पश्चात वादी की ओर से

Scanned by CamScanner

उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त वाद कारण दिनांक 07.09.2020 को वादी को गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा का क्षैत्राधिकार मे पैदा हुआ है। वादी की विषय वस्तु अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि ग्राम बागोरियों की ढाणी पटवार हल्का सिराना तहसील नवलगढ की सरहद मे आराजी खसरा नम्बर 632, 634 रकबा क्रमशः 0.1500, 0.600 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.7500 हैक्टर मे भंवरलाल पुत्र रामदेव के स्थान पर वादी भोमाराम पुत्र रामदेवा राम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उपवरोक्त अनुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई है और वादी के पक्ष मे पड़ती है वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी की ओर राज पैरोकार उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र एवं सहमति प्रस्तुत किया कि सरपंच ग्राम पंचायत बागोरियों की ढाणी का प्रमाण पत्र दिनांक 07.09.2020, प्रार्थी के शपथ–पत्र आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र रामदेव के स्थान पर भोमाराम पुत्र रामेदवा किया जाता है तो भूमिधारी को कोई ऐतराज नही है।

साक्ष्य वादी मे वादी श्री भोमाराम पुत्र रामदेव जाति मेघवंशी निवासी बागोरियों की ढाणी तहसील नवलगढ द्वारा मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र में भी वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने स्वीकार किया गया है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामदेव दर्ज किया हुआ है। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में वादी का नाम सही नाम भोमाराम पुत्र रामदेवाराम जाति मेघवंशी निवासी बागोरियो की ढाणी अंकित है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा अपने जवाब में वादी का नाम भोमाराम पुत्र रामदेवाराम सही होना अंकित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार नवलगढ वादी का नाम भोमाराम पुत्र रामदेवाराम सही होना साबित है। वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बागोरियो की ढाणी की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 632 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7500 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामदेव के स्थान पर भोमाराम पुत्र रामेदवाराम जाति मेघवंशी दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
इन्द्राज सिंह (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:- 173/2020 (भोमाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **इन्द्राज सिंह** (आर. ए. एस.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.10.2020 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बागोरियो की ढाणी की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 632 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7500 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामदेव के स्थान पर भोमाराम पुत्र रामेदवाराम जाति मेघवंशी दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन..........-........... मुवलिग..........-...........बाबत.....-.........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-...... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....-.........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05 माह 10 सन 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Scanned by CamScanner